संख्या-16/2020/362/26-3-2020-4(358)/07 टी.सी.।।।

प्रेषक,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

2- निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 29 जनवरी 2020

विषय:-**वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2019-20 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्था स्तर से छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के आनलाइन आवेदन अग्रसारण एवं धनराशि वितरण हेतु तृतीय चरण की नवीन प्रस्तावित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-4562/स0क0/शिक्षा-अ/3/181/2019-20, दिनांक-29.01.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र- 2019-20 में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्था स्तर से छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के आनलाइन आवेदन, अग्रसारण एवं धनराशि वितरण हेतु तृतीय चरण की नवीन प्रस्तावित समय- सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-138/2019/2124/26-3-2019-4(358)/07 टी0सी0।।। दिनांक 04 जून 2019, शासनादेश संख्या-227/2019/ 4454/26-3-2019-4 (358)/07 टी0सी0।।। दिनांक-18-10-019 द्वारा वित्तीय वर्ष/ शैक्षिक सत्र 2019-20 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अन्दर संचालित शिक्षण संस्थाओं में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु विस्तृत समय सारिणी जारी की गयी थी।

3- अवगत कराना है कि कतिपय मा0 सांसदों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा मा0 मंत्रीजी, समाज कल्याण विभाग को अवगत कराया गया है कि कुछ छात्रों के डाटा संस्था स्तर से इंटरनेट बाधित होने के कारण अग्रसारित नहीं हो पाये है। जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया ने पत्र दिनांक 28.12.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि कैम्पस में बाढ़ एवं इंटरनेट की सुविधा बाधित होने के कारण विश्वविद्यालय स्तर आवेदन अग्रसारित नहीं हो पाये है। मा0 मंत्रीजी ने छात्र हित में समुचित अवसर प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये है। तत्क्रम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ सामान्य वर्ग छात्र/छात्राओं हेतु समय-सारिणी तैयार की गयी है। इस समय-सारिणी में ऐसे डाटा जो पूर्व में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति पर पेण्डिंग है, पर भी जनपद स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु साइट खोले जाने का प्रस्ताव है।

4- इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा वर्ष 2019-20 के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार संशोधित समय सारिणी का निम्नवत् प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

क्र0 सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	प्रस्तावित समयावधि दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2019-20) तृतीय समय-सारिणी
1	2	3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

1	छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	03 फरवरी, 2020 से 05 फरवरी, 2020 तक
2	एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	06 फरवरी, 2020 से 10 फरवरी, 2020 तक
3	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के संबंध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृति करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लाॅक किया जाना व प्रथम तथा द्वितीय चरण के जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति पर पेण्डिंग डाटा पर निर्णय करना।	03 फरवरी, 2020 से 29 फरवरी, 2020 तक
4	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सबमिट किया जाना।	11 फरवरी, 2020 से 16 फरवरी, 2020 तक
5	आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके छात्र-छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के तुरन्त बाद विलम्बतम 17 फरवरी, 2020 तक
6	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र-छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	फरवरी, 2020 से 22 फरवरी, 2020 तक
7	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	24 फरवरी, 2020 से 27 फरवरी, 2020 तक
8	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध एवं सन्देहास्पद एवं छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा के सम्बन्ध में निर्णय के उपरान्त समस्त पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लाक किया जाना।	29 फरवरी, 2020 तक
9	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	05 मार्च, 2020 तक
10	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (**e-payment**) के तहत PFMS से छात्र/	20 मार्च, 2020 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

	छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	

5- इस संदर्भ में अवगत कराना है कि उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार वर्ष 2019-20 सत्र के भरे गये आवेदन पत्रों का वरीयता क्रम छात्रवृत्ति नियमावली दिनांक 30.01.2019 व अन्य नियमावली में उल्लिखित वरीयता क्रम के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2019-20 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव

पृ0सं0-16/2020/362 (1)/26-3-2020 तद्दिनंकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/ व्यवसायिक शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।